



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-24.09.2024

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना कैंट में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को 01 माह 19 दिन का कारावास व 2,000/- रु0 अर्थदण्ड ।

थाना कैंट, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-502/2001 धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त मुहम्मद खालिद नदीम पुत्र मु0 उजैर सिद्दकी निवासी S-3/190 E-2A उलफ़त बीबी का हाता अर्दली बाजार थाना कैंट जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक कैंट व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक- 24.09.2024 को माननीय न्यायालय ACJM-II जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त मुहम्मद खालिद नदीम उपरोक्त को अंतर्गत धारा 8/21 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में 01 माह 19 दिन के कारावास से व 2000/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।